फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2021/46
बअनवान अर्जुनसिंह वगैरा बनाम निकीता टंडन वगैरा
अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 के अधिवक्ता श्री विजयराज चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस एवं उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के पुराने खसरा नंबर 181 व 182 से हाल खसरा नंबर 115 व 387 बने है तथा गत खसरा नंबर में प्रार्थीगण के पिता उदयसिंह का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा के खातेदार जब्बरसिंह रहे है। प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार जब्बरसिंह व उदयसिंह दोनों भाईयों के मध्य हुये बंटवाडे के अनुसार हाल खसरा नंबर 115 रकबा 6.43 हैक्टर प्रार्थीगण के पिता उदयसिंह पुत्र मोडसिंह के कब्जे काश्त की भूमि रही तथा खसरा नंबर 387 रकबा 6.54 हैक्टर जब्बरसिंह पुत्र मोडसिंह के कब्जे काश्त की भूमि रही। सैटलमेंट के दौरान खसरा नंबर 115 के नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम नही होते हुये हाल खसरा नंबर 115/444 रकबा 2.05 हैक्टर रिकॉर्ड में दर्ज कर सिवायचक अंकन कर दिया। तथा सिवायचक अंकन होने से दिनांक 0909.98 को उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश से खसरा नंबर 115/444 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि भूराराम चौधरी को आवंटन कर दी गई। परंतु मौके पर कोई कब्जा नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 02 को रकबा 0.37 हैक्टर का बेचान कर दिया जिसके खसरा नंबर 115/2 कायम किये तथा इसके पश्चात 1/2 हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 03 को कर देने से खसरा नंबर 115/2 रकबा 0.37 हैक्टर के 1/2 हिस्से में अप्रार्थी संख्या 03 सहखातेदार दर्ज है। तथा सभी अप्रार्थीगण मूल खातेदार न होकर खरीदकर्ता ही है। तथा इसके साथ ही जबाब के साथ प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्रीयों की प्रति के अनुसार भूमि को आगे से आगे बिना संपरिवर्तन के बेचान हो रहा है। यदि अप्रार्थीगण इसी प्रकार भूमि का बेचान करते रहे तो प्रार्थीगण द्वारा घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत मूल वाद पर भी पूरा असर पडेगा। अर्थात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने की दशा में प्रार्थीगण को भारी असुविधा व आर्थिक कठिनाई होना संभाव्य है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर किसी प्रकार की तात्कालिक नुकसान होने की संभावना नहीं है। जिससे प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुये मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि जादरी के हाल खसरा नंबर 115/444 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नंबर 115/2 रकबा 0.37 हैक्टर व खसरा नंबर 115/1 रकबा 1.25 हैक्टर के संबंध में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)